

श्री १०० विद्या
श्री १०० विद्या

खतौजी नकल हासल से नकल दर तैयार किया

Saw
10/09/2018

प्रमोद सिंह काका
राजस्व रूप निरीक्षक
क्षेत्र-गिरीनिवाँ...तह०.मुनास्यारी..
जिला- पिथौरागढ़

आदेश.

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/148/2016/एफ.सी./1118 दिनांक 26.09.2017 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत आदिचौरा से सीणी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 10.350 है० वन भूमि के बदले 20.700 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-2173/XVIII (II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत आदिचौरा से सीणी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 10.350 है० वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी मुनस्यारी की आख्या/संस्तुति के आधार पर ग्राम सीणी पट्टी रिगौनिया तहसील मुनस्यारी/तेजम के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-245 श्रेणी-9(3) ड बंजर काबिल आवाद के कुल 06 खेतों की 6.075 है० खाता संख्या-252 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के कुल 61 खेतों की 14.625 है० इस प्रकार उक्त 02 खातों के कुल 67 खेतों की 20.700 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार मुनस्यारी/तेजम, स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक सितम्बर 05, 2018

(सी०रविशंकर)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-2394/सात-54/2017-18

दिनांक सितम्बर 06, 2018

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. उप जिलाधिकारी मुनस्यारी।
 4. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड लो.नि.वि. धारचूला।
 5. तहसीलदार मुनस्यारी/तेजम को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सी०रविशंकर)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

आदिचौरा से सिन्धी

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-03-2018

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6118961344
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/137/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA, Pithoragarh
Amount(in Rs)	11489977/-

Amount in Words : One Crore Fourteen Lakh Eighty-Nine
Thousand Nine Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896118961344 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 07-03-2018

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6118961344
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/137/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA, Pithoragarh
Amount(in Rs)	11489977/-

Amount in Words : One Crore Fourteen Lakh Eighty-Nine
Thousand Nine Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896118961344 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 00बी/यूसीओपी०/०६/१४८/२०१६/एफ०सी० / 1118

दिनांक: 26/09/2017

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : Diversion of 10.35 ha of forest land for construction of Adichaura to Simni Motor Road in favour of Gramya Vikas Vibhag (PMGSY) within the jurisdiction of Pithoragarh Forest Division, District Pithoragarh, Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13621/2015).

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/13621/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 791/X-4-16-1(229)-2016 दिनांक 12.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13621/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारीयां/ दस्तावेज online मगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 11.08.2017 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/ दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार Diversion of 10.35 ha of forest land for construction of Adichaura to Simni Motor Road in favour of Gramya Vikas Vibhag (PMGSY) within the jurisdiction of Pithoragarh Forest Division, District Pithoragarh, Uttarakhand हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2070 हे० सिन्नी सिविल सोयन भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करवाया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।
5. निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन वद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. may upload 658.92 ha of CA stipulated in the non-forest land in column-7 of the table in the district profile data at para -14 of online Part-II.

7. State Govt. will provide hard copy of the proposal containing original attested copies of all other documents except FRA certificate, geo referenced digital map of the forest land proposed for diversion which have been provided in original. Geo-referenced digital map of CA may be provided in original.

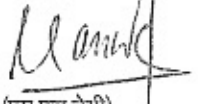
उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय का प्रेषित न की जाय। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 एन.पी.वी. की दसों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण वही दसों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 3 प्रतिवृक्ष वृक्षारोपण हेतु चयनित 20 70 ई0 सिन्नी सिविल एवं सोयम भूमि का छ माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नाडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉक के लिये किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आस0री0री0 पितर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
- 6 निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ समंजस सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
- 7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉक के लिये रसाई गैस/कंसासिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों का क्षति न पहुँचे।
- 8 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 9 वन भूमि का पर्याप्त प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 10 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 638 से अधिक न हो।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों को अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का सतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1 अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
- 2 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नाडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3 आदेश पत्रावली।

/

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक